न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

01. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– **3562 सन् 2026,**
(CNR No. UPBU01-009085-2026)

प्रदीप राजपूत उर्फ भूरा पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मूंडी बकापुर, थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–215 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः– 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3), 3(5) बी.एन.एस.
तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम,
थानाः– औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर।

एवं

02. जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **3689 सन् 2026**,
(CNR No. UPBU01-009399-2026)

प्रशान्त राजपूत पुत्र चन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम मूढ़ीबकापुर, थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–215 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः–191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3), 3(5) बी.एन.एस.
तथा धारा 4/25 आयुध अधिनिम,
थानाः–औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर,

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

01. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व संव्यवहार से संबंधित हैं। अतः उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को समेकित कर उनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3562 सन 2026 को अग्रणी जमानत प्रार्थनापत्र घोषित किया जाता है।

02. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा निशार द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गयी कि दिनॉक–18.6.2026 को उसके परिवार के लोगो के साथ उसके गॉव के रितिक ने गाड़ी की साईड न देने के कारण गाली गलौंच की थी और इसी बात को लेकर रंजिश मानते हुए दिनॉक–19.6.2026 की समय करीब 11.15 बजे रितिक, संदीप, प्रिन्श, छोटू, सचिन, नवीन व दो अज्ञात व्यक्ति उसके व उसके पुत्र गुलजार के आफिस पर पहुॅच गये और तभी आफिस के अन्दर दो लड़के रिहान व पिन्टू भी बैठे थे। घटना से 5 मिनट पहले उसके साले अकरम व लयाक्त अपनी कार से थाना औरंगाबाद जा रहे थे तभी उक्त सभी ने उसका पीछा भी किया और जान से मारने की धमकी देकर घटनास्थल से भाग गये।

04. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः अभिवाक किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.07.15 16:41:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। आवेदकगण दिनांक 24.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

05. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण की अपराध में सक्रिय भूमिका है तथा आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उनके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र गुलजार पर गोलियॉ चलाकर उसे गम्भीर चोट पहुॅचायी गयी, गाली गलौच की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

अभियोजन के अनुसार अब तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनॉक–18.6.2026 को गाड़ी को साईड करने को लेकर सह अभियुक्तगण ऋतिक, संदीप, प्रिंस, प्रियांशु उर्फ छोटू, सचिन, विक्रान्त से चोटहिल गुलजार से विवाद हुआ था, जो आस पास के लोगो ने इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। उक्त सभी लोग देख लेने की धमकी देकर वहॉ से चले गये थे। दिनॉक–19.6.2026 को चोटहिल गुलजार अपने आफिस पर बैठा हुआ था तथा उसके साथ अन्य व्यक्ति प्रवेश उर्फ पिन्टू व रिहान भी साथ बैठे हुए थे, तभी उसके आफिस पर आवेदकगण/अभियुक्तगण तथा उपरोक्त सह अभियुक्तगण आए और आते ही चोटहिल को एकराय होकर गाली गलौंच करने लगे व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके आफिस पर लाठी डण्डो से हमला कर दिया। अभियुक्तगण अपने हाथों में लिये चाकू व तमन्चे लिये हुए थे और चोटहिल पर अंधाधुन्ध फायर कर दिया गया, जिससे चोटहिल के पेट में गोली लग गयी। आवेदक/अभियुक्त प्रदीप राजपूत उर्फ भूरा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमन्चा 315 बोर तथा आवेदक/अभियुक्त प्रशान्त राजपूत के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया है। चोटहिल गुलजार द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में आवेदकगण/ अभियुक्तगण तथा सह अभियुक्तगण को घटना में सम्मिलित होना दर्शित करते हुए घटना का समर्थन किया गया है।

चोटहिल गुलजार की आघात आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि चोटहिल गुलजार को एक चोट आग्नेयास्त्र का फटा हुआ प्रवेश घाव सीने के दाहिनी तरफ आना दर्शित किया गया है।

आवेदकगण/ अभियुक्तगण की अपराध में प्रथम दृष्टया सक्रिय भूमिका दर्शित है तथा आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदकगण/ अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं। इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3689 सन् 2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 15.07.2026

शिवम गौड़–पी.ए.